प्रेषिका,

रेशमा चौधरी,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–04, मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषयः–माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र सं0 9691/IV–F–82 (Pention) Admin (A) दिनांकित 16 जुलाई 2024 तथा शासनादेशसं0–14/2024/सा–3– 243/दस–2024/301(1)2024, दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने का प्रार्थना पत्र।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक–26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग–4. संख्या–2430/दो–4–06–32(1)/2001 टीसी–1) से हुई थी। अधोहस्ताक्षरी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिफिकेशन, दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक–17.06.2006 को जनपद बदायूं में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। अधोहस्ताक्षरी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22–28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं०–ए–2/ई–1/2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस– 2024/301 (1) 2024, दिनांकित 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है तथा अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प का चुनाव करती है।

अतः अधोहस्ताक्षरी शासनादेश सं०–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301 (1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अनुकम में, अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है। तदक्रम में माननीय महोदय से निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीया,

दिनांक 23.07.2024

Re 23/7/24

(रेशमा चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–04, मुरादाबाद

<u>कार्यालय जजशिप, मुरादाबाद</u>

पत्रांक सं0– /(एडमिन)/मुरादाबाद, दिनांक , 2024

सेवा में,

श्रीमान निबन्धक (अनुपालन) महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

शासनादेश सं0–20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक–

विकल्प पत्र

1. नाम–	रेशमा चौधरी (आई0डी0–यू0पी0 6230)
2. पदनाम–	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–04, मुरादाबाद।
3. वेतनमान–	178150 / –(144840–194660 Level J-5)
4. वर्तमान विभाग का नाम–	न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम–	कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्ति अनुभाग–4) उ0प्र0 शासन, लखनऊ
6. विज्ञप्ति की तिथि–	दिनांकित 22–28 नवम्बर 2003 (विज्ञापन सं0 ए–2 / ई–1 / 2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति तिथि–	26.05.2006 (सं0 2430 / दो–4–06–32(1) / 2001टीसी0–1)
8. विभाग में योगदान तिथि–	29.06.2006
9. जन्मतिथि–	08.08.1977
10. सेवानिवृत्ति की तिथि–	31.08.2037

मैं रेशमा चौधरी, पत्नी श्री आनन्द चौधरी शासनादेश सं0–14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301(1)2024 दिनांक 28 जून 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर– Ren

नाम–रेशमा चौधरी (आई0डी0–यू0पी0 6230)

पदनाम–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट सं0–04, जिला मुरादाबाद।

घोषणा पत्र

मैं रेशमा चौधरी (आई0डी0–यू0पी0 6230) पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–04, मुरादाबाद यह घोषणा करती हूं कि उपरोक्त क्रम सं0 1 ता 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– Ren

नाम–रेशमा चौधरी (आई0डी0–यू0पी0 6230)

पदनाम–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट सं0–04, मुरादाबाद।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

मैं रेशमा चौधरी (आई0डी0–यू0पी0 6230) पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–04, मुरादाबाद को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति